



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032021-225765
CG-DL-E-10032021-225765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 994]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 2021/फाल्गुन 18, 1942

No. 994]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 2021/PHALGUNA 18, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2021

का.आ. 1082(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3क की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4117(अ) दिनांक 21.08.2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) में दिनांक 23.08.2018, को प्रकाशित की गयी थी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती

है अर्थात :

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:-

गाँव का नाम का. आ. 4117(E) दिनांक 21.08.2018 के अनुसार			संशोधित गाँव का नाम
जिला	तहसील	गाँव का नाम	गाँव का नाम
दौसा	रामगढ़ पंचवारा	चांदपुर	चक चांदपुर

[फा. सं. NHAI/PIU-SWM/BM/DVE-RAJ/2018/LA/3A6 Corr.]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 9th March, 2021

S.O. 1082(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O 4117(E) dated 21.08.2018, published in the Gazette of the India Extraordinary, part II, Section 3, Sub section (ii), dated 23.08.2018.

In the Schedule to the said notification:

Village Name as per notification no. S.O 4117(E) dated 21 August, 2018			Amended village Name
District	Tehsil	Village Name	Village Name
Dausa	Ramgarh Pachwara	Chandpur	Chak Chandpur

[F. No. NHAI/PIU-SWM/BM/DVE-RAJ/2018/LA/3A6 Corr.]

RAJESH GUPTA, Director